

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण,
योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर
E-mail - Janadhaar.des@rajasthan.gov.in Tel. No. 0141-2850218

बोली प्रपत्र

- 1- मद जिसके लिए बोली प्रस्तुत की गई है— प्रिंटर्स के टोनरों की रिफिलिंग एवं मरम्मत
- 2- बोली की अनुमानित लागत — रुपये 0.96 लाख
- 3- बोली प्रतिभूति राशि — रु. 2000/-जरिये डीडी/बैंकर्स चैक संख्या.....
- 4- बोली प्रपत्र शुल्क रु. 200/-प्रति बिड जरिये डीडी/बैंकर्स चैक संख्या.....
- 5- बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म/बोली दाता का नाम
- 6- डाक का पूरा पता.....
पिनकोडदूरभाष नंबर.....मोबाईल नम्बर
- 7- बोलीदाता का स्वामित्व का प्रकार (प्रोप्राईटरशिप/पार्टनरशिप/कम्पनी).....
- 8- बोलीदाता/फर्म का GST नम्बर यदि हो तो.....
- 9- बोलीदाता/फर्म के पेन नंबर.....
- 10- बोलीदाता/फर्म की ई-मेल आई.डी.
- 11- बैंक खाता विवरण (i) बैंक व शाखा का नाम.....
(ii) खाता संख्या.....
(iii) IFSC कोड.....
12. सामग्री/कार्य व्यवस्था के लिए प्रदाय दरें वित्तीय बोली में अंकित की गई है।
13. सामग्री/कार्य व्यवस्था की प्रदाय दरें समस्त करों सहित दर्शाई गई है।
14. निम्न दस्तावेज संलग्न है:-
 1. आयकर पेन नम्बर की प्रति।
 2. साझेदार फर्म होने की स्थिति में सभी साझेदारों के नाम व साझेदारी विलेख की प्रति। कम्पनी होने की स्थिति में कम्पनी रजिस्ट्रेशन व निदेशकों का विवरण।
15. बोली में वर्णित/अंकित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हूँ। उक्त शर्तों को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं। उनकी भी पालना करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

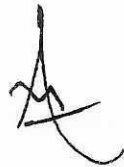
दिनांक

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण,
योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर
E-mail - Janadhaar.des@rajasthan.gov.in Tel. No. 0141-2850218

प्रिंटरों के टोनरों की रिफिलिंग एवं मरम्मत हेतु बोली की शर्त :-

1. बोलीदाता द्वारा आयकर विभाग का पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है, जिसके अभाव में बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. बोली दस्तावेज नियत दिनांक व समय तक उपापन समिति के अध्यक्ष के कार्यालय कमरा संख्या 317 में जमा करवाया जाना आवश्यक है।
3. बोली के साथ अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि एवं बोली प्रपत्र का शुल्क का डीडी/बैंकर चैक जो निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं पदेन अति. महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण जयपुर के नाम देय होगा जमा कराना अनिवार्य है अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. सफल बोलीदाता को 5 प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी, उसकी बोली प्रतिभूति राशि को कार्य संपादन प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जाएगी। सफल बोलीदाता को निर्धारित प्रपत्र में स्वीकृति जारी होने के तिथि से सात दिवस में नियमानुसार 500 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. बोली प्रपत्र एवं शर्त कार्यालय से निर्धारित दिनांक व समय तक रु. 200/- का डी. डी. जमा कराकर प्राप्त की जा सकती है अथवा राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> तथा <https://janaadhaar.rajasthan.gov.in> से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोड किये जाने की दशा में बोली प्रपत्र शुल्क का डी.डी. बोली प्रपत्र के साथ कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक होगा।
6. प्राप्त बोली दस्तावेज नियत दिनांक व समय पर उपापन समिति द्वारा उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
7. दर्शायी गई दरें अनुबन्ध की दिनांक से 31 मार्च 2023 तक के लिए वैध होंगी। इसके आगे दरें परस्पर सहमति से राज्य लोक उपापन नियमों के अन्तर्गत ही बढ़ाई जा सकेंगी।
8. किये जाने वाले भुगतान पर नियमानुसार टी.डी.एस.की राशि काटी जावेगी।
9. बोली प्रारूप पूर्णरूपेण सही एवं स्पष्ट रूप से भरा जाना आवश्यक है। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा। शर्त रहित बिड ही स्वीकार होगी।
10. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां एवं या अपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए



एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर कर सील (फर्म की) किए जाने चाहिए। अंको एवं शब्दों में अन्तर होने पर शब्दों में अंकित राशि मान्य होगी।

11. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं/सेवाओं की स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसिफिकेशन आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
12. बोलीदाता अपनी दरसंविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
13. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निरस्त कर सकता है।
14. दरें एफ.ओ.आर. कार्यालय राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, तृतीय मंजिल योजना भवन, जयपुर होगा एवं समस्त माल भाड़ा चुका कर भेजा जाएगा।

15. भुगतान :-

1:- सामग्री/सेवा की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

2:- उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होंगे।

16. बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता क्रेता अधिकारी से वर्क ऑर्डर के प्राप्त होने से निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।
17. यदि बोलीदाता ऐसी शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हो।
18. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने या बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा तथा न्यूनतम दर को स्वीकार कराना बाध्यकारी नहीं होगा।
19. टोनर रिफिलिंग एवं मरम्मत कार्य हेतु प्राप्त वित्तीय बिडों में टोनर रिफिलिंग हेतु प्रस्तुत न्यूनतम दर दाता को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उसकी अन्य कार्य/आईटमों

- की दरें अन्य बिडदाता से अधिक है तो उसे अन्य कार्य/आईटमों की प्राप्त न्यूनतम दर के बराबर दर प्रस्तुत करने के लिए कहा (Offer) जायेगा। यदि उसके द्वारा दरों में कमी नहीं की जाती है तो इस संबंध में उपापन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
20. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।
21. बोलीदाता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
22. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 का ज्ञान एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 के नियम/शर्तों एवं बोली प्रपत्र में भिन्नता होने पर आरटीपीपी नियम एवं शर्तें मान्य होंगे।
23. बोलीदाता को दरें संलग्न दर प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी है।
24. बोली में संशोधन बोली जारी करने के उपरान्त <http://sppp.rajasthan.gov.in> तथा <https://janaadhaar.rajasthan.gov.in> वेबसाइट पर ही किये जायेंगे। बोलीदाताओं द्वारा वेबसाइट पर संशोधन/स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं करने के सम्बन्ध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
25. उपरोक्त सामान की सप्लाई कार्यादेश में अंकित अवधि में ही आपूर्ति करना अनिवार्य है अन्यथा नियमानुसार शास्ति आरोपित की जायेगी।
26. बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा। पेंसिल से भरी बोली पर विचार नहीं किया जावेगा। बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
27. बोली में दी गई कुल दर के अलावा अन्य कोई प्रभार देय नहीं होगा।
28. कार्य आदेश सूची अनुसार सामग्री/कार्य उपलब्ध करवानी होगी।
29. परीक्षणों के मामले में बोली दाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में सामग्री/कार्य का निरीक्षण किया जायेगा।
30. सामग्री आपूर्ति/कार्य समाप्ति पर बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा।
31. बोली केवल कार्यालय द्वारा जारी प्रपत्र पर ही मान्य होगी।
32. बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, रा.ज.आ.प्रा. जयपुर के पास सुरक्षित होंगे और उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।
33. बोली खोलने के बाद यदि आवश्यकता हुई तो नेगोशियेशन किया जा सकता है।
34. प्राधिकरण कार्यालय पर सामान को निर्धारित समय पर पहुंचाने की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा।
35. अनुमोदित फर्म को समय-समय पर क्रय आदेशों को प्राप्त कर आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
36. **सुपुर्दगी अवधि :-** बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की जाएगी, वह सप्लाई आदेश की तारीख से आदेशानुसार आवश्यकता होने पर अविलम्ब अथवा अधिकतम दो दिवस में टोनर रिफिलिंग करने की व्यवस्था करेगा। यदि बिड दाता ऐसी प्रिंटर

रिफिल/रिपेयरिंग करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की प्रिंटर रिफिल/रिपेयरिंग की व्यवस्था बिड द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी बिड दाता से वसूली की जाएगी।

37. प्रिंटर में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उक्त समस्या का समाधान अधिकतम 03 दिवस (सामान्य समस्या हेतु दो दिवस व जटिल समस्या हेतु तीन दिवस) के भीतर करवाना होगा। सही करने की तिथि के तीन माह के भीतर उसी डिवाइस में पुनः वही समस्या आने की स्थिति में उक्त समस्या समाधान को पुनः बिना किसी लागत के सही करने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। इसके लिए अलग से किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान बिडदाता को नहीं किया जाएगा।

38. परिनिर्धारित क्षति: परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा है:-

1. विहित सुपुर्दगी अवधि को एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत
2. एक चौथाई से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5 प्रतिशत
3. आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत
4. विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत
5. विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा
6. परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
7. यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता हैं, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसके द्वारा प्रदायगी हेतु आदेश दिया गया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

39. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 एवं GF&AR के सभी आवश्यक प्रावधान इस बोली के भाग होंगे।

40. मैंने सभी शर्तों का अध्ययन कर लिया है एवं उल्लेखित सभी शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं।

दिनांक

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय पूर्ण नाम व पता
(सील सहित)

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण,
योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर
E-mail - Janadhhaar.des@rajasthan.gov.in Tel. No. 0141-2850218

बोलीदाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन सामग्री/कार्य के लिए बोली दी है, उनके/उनका/मैं/हम थोक विक्रेता/वितरक/विपणन एजेंट/सेवाप्रदाता हूँ/हैं।

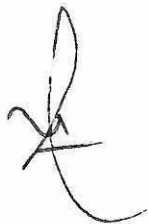
यदि यह घोषणा असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

मैं/हम घोषणा करता/करते हूँ/है कि हमारी फर्म को अथवा हमारी फर्म की किसी भी सामग्री/कार्य को पूर्व में किसी विभाग/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड घोषित नहीं किया गया है। उक्त घोषणा पूर्ण सत्य एवं सही है।

मैं/हम घोषणा करता/करते हूँ/है कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई सूचना सत्य है। यदि असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी जमा धरोहर/प्रतिभूति राशि को पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जाए तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

दिनांक

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय पूर्ण नाम व पता
(सील सहित)



राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण,
योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर
E-mail - Janadhaar.des@rajasthan.gov.in Tel. No. 0141-2850218

वित्तीय बोली प्रपत्र

प्रिंटरों के टोनरों की रिफिलिंग एवं सम्मत कार्य की दरें

फर्म का नाम मय पता.....

मोबाईल नम्बर ई-मेल आईडी

Sr. No.	Name of Hardware	Printer Model No.	No. of Printer	Part Name	दर रुपये में प्रति नग जीएसटी सहित		Remark
					5 (अंको में)	6 (शब्दों में)	
1.	HP	Laser Jet pro MFP m329 dw	10	New original cartridge			
				Cartridge Refill			
				Drum			
				Teflon (Fuser Film)			
				Magnet Roller			
				Blade Roller			
				Printer Service Charge			
				Wiper Blade			
				Doctor Blade			
				P.C.R.			
2.	EPSON	Epson L 6460 Ecotank	02	New original cartridge			
				Cartridge Refill			
				Drum			
				Teflon (Fuser Film)			
				Magnet Roller			
				Blade Roller			
				Printer Service Charge			
				Wiper Blade			
				Doctor Blade			
				P.C.R.			

3.	HP	Laser Jet pro 400 MFP m425 dn	02	New original cartridge			
				Cartridge Refill			
				Drum			
				Teflon (Fuser Film)			
				Magnet Roller			
				Blade Roller			
				Printer Service Charge			
				Wiper Blade			
				Doctor Blade			
				P.C.R.			
4.	HP	Laser Jet pro MFP m128 fw	02	New original cartridge			
				Cartridge Refill			
				Drum			
				Teflon (Fuser Film)			
				Magnet Roller			
				Blade Roller			
				Printer Service Charge			
				Wiper Blade			
				Doctor Blade			
				P.C.R.			
5.	HP	Laser Jet m1213 NF MFP	01	New original cartridge			
				Cartridge Refill			
				Drum			
				Teflon (Fuser Film)			
				Magnet Roller			
				Blade Roller			
				Printer Service Charge			
				Wiper Blade			
				Doctor Blade			
				P.C.R.			
6.	HP	Laser Jet 1020 plus	01	New original cartridge			
				Cartridge Refill			

				Drum			
				Teflon (Fuser Film)			
				Magnet Roller			
				Blade Roller			
				Printer Service Charge			
				Wiper Blade			
				Doctor Blade			
				P.C.R.			

दिनांक

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय पूर्ण नाम व पता
(सील सहित)

